पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2020 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2730

==========

प्रवीण कुमार फलैट संख्या 205 के निवासी सिंह मेंशन, कालीकेट नगर, बेली रोड, दानापुर सह खगौल, पटना, पी. एस. रूपसपुर, जिला- पटना, वर्तमान मे सहायक अभियंता, उन्नत योजना प्रभाग संख्या 1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के रूप में तैनात हैं।

....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना।
3. प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना।
5. मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना।
6. अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण प्रभाग, जिला-पटना।
7. संयुक्त सचिव- सह- मुख्य सतर्कता अधिकारी, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना।
8. उप सचिव (सतर्कता) सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना।
9. अतिरिक्त विभागीय जांच आयुक्त, बिहार सरकार, पटना।

....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री राकेश कुमार समरेंद्र,
प्रत्यर्थीयों के अधिवक्ता	:	श्री राज बल्लभ पी.डी.यादव (ए.ए.जी.11)
	:	शरी अशोक कुमार दुबे, ए.सी.से.ए.ए.जी.,-11

==========

सेवा कानून–आरोप ज्ञापन को चुनौती–याचिकाकर्ता को लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था, बिहार लोक सेवा आयोग से उचित सिफारिश के बाद–वर्ष 2007 में, उसे क्लास-I राजपत्रित पद पर पदोन्नत किया गया था –एक गैर-सक्षम व्यक्ति द्वारा आरोप का ज्ञापन जारी किया गया था–विभागीय कार्यवाही शुरू करने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री से ली गई है, लेकिन आरोप शुरू करने के लिए अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री से नहीं लिया गया था, बल्कि यह सचिव से लिया गया था–समीक्षा प्राधिकारी द्वारा किया गया तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है– भूपेंद्र नारायण झा के मामले में माननीय पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया है कि बिहार के

राज्यपाल इंजीनियरिंग सेवा वर्ग I के सदस्यों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी हैं–याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी आरोप ज्ञापन दोषपूर्ण है; और एक बार जब आरोप ज्ञापन दोषपूर्ण हो जाता है तो स्वचालित रूप से पूरी कार्यवाही गलत होती है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित कर दिया गया–रिट याचिका को उसकी सेवा से जुड़े याचिकाकर्ता को सभी परिणामी राहत प्रदान करने के निर्देशों और उनके पद के सेवानिवृत्त बकाया के साथ आवेदन अनुज्ञात किया गया।

(पैरा 9, 11 और 13)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमुर्ति डॉ. श्री अंशुमान

मौखिक न्यायादेश/निर्णय

दिनांक:- 09.05.2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

(i) प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक आदेश, निर्देश या रिट जारी करना, ज्ञापन आदेश संख्या 4326 (ओं) दिनांक-30.05.2013 (अनुलग्नक-17) में निहित आदेश को रदद करना/अलग करना, जिसके तहत और जिसके तहत याचिकाकर्ता को पूरी सेवा अवधि के लिए सबसे कम वेतनमान में सहायक अभियंता के पद पर वापस कर दिया गया है, साथ ही साथ गैर-कार्य पद पर स्थायी नियुक्ति भी की गई है।

(ii) दिनांक- 5140 (अनुलग्नक-21) के पत्र में निहित आक्षेपित आदेश को रदद करने/स्थापित करने के लिए एक आदेश, निर्दश या प्रकृति में एक रिट जारी करना, जिसके द्वारा और जहां अनुलग्नक-17 (उपरि) में निहित सजा के आदेश की समीक्षा के लिए समीक्षा याचिका के तहत खारिज कर दिया गया है।

(iii) एक घोषणा के लिए कि 02.07.2009 को दिनांकित आरोप ज्ञापन अधिकार क्षेत्र के बिना है और कानून की नजर में अस्थिर है क्योकि इसे तैयार नही किया गया है और सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदन किया गया है।

(iv) यह घोषणा करने के लिए कि जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारण और समीक्षा प्राधिकरण के निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

(v) प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ कार्यकारी अभियंता के पद पर बहाल करने का आदेश देने के लिए, जैसे कि विवादित आदेश कभी अस्तित्व में ही नहीं थे।

(vi) किसी अन्य राहत या राहत के अनुदान के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को बिहार लोक सेवा आयोग की उचित सिफारिश के बाद बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। वकील प्रस्तुत करते है कि वर्ष 2007 में उन्हे कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो एक श्रेणी-1 राजपत्रित पद है। वकील परस्तुत करता है कि वर्ष 2007 में याचिकाकर्ता को पश्चिम भवन प्रभाग, दानापुर में कार्यकारी अभियंता के रूप में तैनात किया गया था, और उसे

दो अन्य प्रभागों का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था, जिन पर भारी काम का बोझ था। वकील प्रस्तुत करता है कि उसके खिलाफ एक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप बाद में सजा दी गई और सजा के अंतिम आदेश के खिलाफ उसने सजा के आदेश को समीक्षा मे चुनौती दी है और उसके बाद, 2015 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1332 मे इस अदालत के समक्ष गया है। उक्त रिट याचिका का निपटारा कुछ स्वतंत्रता के साथ किया गया था। उक्त आदेश का समापन भाग इस प्रकार है:

> *"9 -2020 का पटना उच्च न्यायालय सी.डब्ल्यु जे. सी. आई.डी. 1, 09.05.2024 समीक्षा प्राधिकरण का दिनांकित 10.03.2014 का आदेश बिना कोई कारण बताए है। कानून के तय किए गए सिद्घांतों को देखते हुए कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता कानून में टिकाउ नहीं है।*
>
> *10.03.2014 दिनांकित समीक्षा प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। मामला समीक्षा प्राधिकरण को प्रेषित किया जाता है। समीक्षा याचिका में उठाए गए मुददे, जिन पर तत्काल आदेश में ध्यान दिया गया है, समीक्षा प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।*
>
> *10. चूंकि तत्काल रिट कार्यवाही की स्थापना से पहले, आरोप ज्ञापन के अधिकार क्षेत्र के बिना होने का मुददा प्राधिकरण के समक्ष नहीं उठाया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता के वकील ने अपने स्मारक दिनांक 14.06.2013 के पूरक के रूप में इस संबंध में प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में उक्त याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगी है। स्वतंत्रता, जैसे कि प्रार्थना की गई, प्रदान की जाती है। याचिकाकर्ता को मौजुदा नियमों और सेवा शर्त का उल्लेख करते हुए अपनी समीक्षा का पूरक होना चाहिए, जिसमें याचिकाकर्ता पर आरोप ज्ञापन जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किया गया है, जिसे संबंधित समय पर कार्यकारी इंजीनियर, भवन निर्माण, दानापुर के रूप में तैनात किया गया था।*
>
> *11. अगर इस तरह पूरक आवेदन चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाता है, उसी पर एक तर्कपूर्ण और सकारण आदेश द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है। यह उम्मीद की जाती है कि चूंकि यह मुद्दा अब लगभग दस साल पुराना हो गया है, इसलिए प्रत्यर्थी अधिकारी बिना किसी अनुचित देरी के समीक्षा आवेदन पर अंतिम निर्णय लेंगे। रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।*

4. इस माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने के बाद याचिकाकर्ता के अनुलग्नक- 20 के माध्यम से समीक्षा प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व किया है और

उसके जवाब में समीक्षा प्राधिकरण ने ज्ञापन संख्या 5140 दिनांक- 07.06.2019 में निहित अंतिम आदेश पारित किया है, जो यहां आक्षेपित आदेश है। वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका में अंतिम आदेश पारित करने के समय पुनर्विचार प्राधिकरण के समक्ष भी आरोप ज्ञापन को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसे कानूनी रूप से विचार में नहीं लिया गया है और इस कारण से वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप ज्ञापन को यह भी चुनौती दी है कि उक्त आरोप ज्ञापन मूल रूप से एक गैर-क्षेत्राधिकार निर्णय है। वकील प्रस्तुत करता है कि उक्त आरोप ज्ञापन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है जो याचिकाकर्ता को आरोप ज्ञापन जारी करने में सक्षम नही है क्योंकि वह नियुक्ति प्राधिकरण नही है। उनके तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते है कि मामला **भारत संघ बनाम बी.वी. गोपीनाथ (2014)** 1 एस.सी.सी. 351 में रिपोर्ट किया गया है उसके मामले को पूरी तरह से कवर करता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त मामले में निर्धारित अनुपात बहुत स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत एक लोक सेवक को संरक्षण दिया गया है और इस निर्णय में अनुच्छेद 40 और 41 में और बाद मे उक्त निर्णय के अनुच्छेद 50 और 55 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल विभागीय कार्यवाही जारी करने के लिए सहमति लेना उचित नहीं होगा, बल्कि नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा आरोप ज्ञापन जारी करने के समय दिमाग के आवेदन के संबंध में पूर्ण सहमति आवश्यक है। उक्त निर्णय में निर्धारित अनुपात के समर्थन में, वकील प्रस्तुत करता है कि राज्य पहले पिछली रिट याचिका में जवाबी हलफनामा दायर कर चुका है। उक्त जवाबी हलफनामे की प्रति वर्तमान रिट याचिका में अनुलग्नक-12 के रूप में दायर की गई है, जिसके पैराग्राफ-11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने और उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो संबंधित फाइल से स्पष्ट है। फाइल की प्रति भी रिट याचिका में संलग्न की गई है। बाद में उन्होने प्रस्तुत कि पैराग्राफ-30 में राज्य द्वारा यह स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री ने अनुलग्नक-ए के तहत याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी करने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसलिए, इन आरोपों के समर्थन में सबूतों के साथ 11 आरोपों वाले फार्म 'के' में आरोप पत्र याचिकाकर्ता को रिट याचिका के अनुलग्नक-10 श्रृखंला में पत्र के तहत दिया गया था और उन्हें सचिव, आरसीडी, बिहार सरकार, पटना के अनुमोदन के साथ 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इन अभिवचनों के आधार पर, याचिकाकर्ता के वकील यह प्रस्तुत करना चाहते है कि राज्य के अभिवचन से यह बहुत स्पष्ट हो जाता

है कि केवल विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए मंजूरी ली गई है, जबकि प्रभार सचिव, आरसीडी, बिहार सरकार के अनुमोदन से जारी किया गया है, न कि माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से। उन्होने प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा की गई अभिवचन का पूरी तरह से अनुलग्नक- ए द्वारा समर्थन किया गया है, जहां यह स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने केवल निलंबित करने एवं विभागीय कार्यवाही को शुरू करने का निर्देश दिया है, लेकिन आरोप ज्ञापन को मंजूरी नहीं दी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में समीक्षा प्राधिकरण द्वारा याचिका ली गई है कि प्रभार पर सहमति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ली गई है जो पत्र संख्या 1708 दिनांक 11.05.2019 से स्पष्ट है। राज्य के उक्त जवाबी हलफनामें का अनुलग्नक- ए मूल रूप से वही पत्र है, जो वर्तमान रिट याचिका का अनुलग्नक- 12 है जो समान हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस पृष्ठभूमि में और **भारत संघ बनाम बी.वी. गोपीनाथ (सुप्रा)** के मामले निर्धारित अनुपात के आलोक में, इस रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और पुरे आरोप ज्ञापन और बाद के आदेशों को अलग रखा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से संबंधित सभी परिणामी राहत के लिए राहत दी जानी चाहिए क्योकि याचिकाकर्ता 30.04.2023 को सेवा से सेवानिवृत हो गया है।

6. दूसरी और, राज्य के विद्वान वकील, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क का जोरदार विरोध करते है और प्रस्तुत करते है कि यह रिट याचिका इस कारण से खारिज करने के लिए उपयुक्त है कि याचिकाकर्ता पहले इस माननीय न्यायालय के समक्ष चला गया है और इस माननीय न्यायालय ने मूल आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है और केवल समीक्षा करने वाले अधिकारी को नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते है कि इस न्यायालय ने राज्य को एक पूरक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति का अधिकार कौन है। वकील प्रस्तुत करता है कि पूरक जवाबी हलफनामे मे राज्य द्वारा यह रूख अपनाया गया है कि कार्यकारी अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है और कार्यकारी अभियंता के पद पर कोई सीधी भर्ती नहीं है। इसलिए, यह एक ऐसा पद नहीं है जिस पर नियुक्ति की जाती थी, बल्कि उक्त पद पर सहायक अभियंता की पदोन्नति की जाती थी और जो व्यक्ति पदोन्नति के लिए आदेश पारित करने में सक्षम होता है, वह विभाग का सचिव होता है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते है कि पहले विभिन्न कार्य विभाग जैसे आर, सी. डी., आर. डब्ल्यू. डी. बी.सी.डी. और आर.सी.डी. के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करेगा। लेकिन अब कार्य विभाग प्रभाग के बाद प्रत्येक विभाग को B.P.S.C के माध्यम से विज्ञापन और भर्ती करने का अधिकार

दिया गया है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते है कि कार्य विभागों के कार्यकारी अभियंता की सेवाएं बिहार इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग-1 नियम, 1939 द्वारा निर्देशित हैं, इसलिए बिहार लोक निर्माण संहिता के तहत प्रदान की गई हैं। वे प्रस्तुत करते है कि कार्यकारी नियमों के नियम 21 की चौथी अनुसूची इंगित करती है कि विभागीय मंत्री प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से मंत्री B.P.S.C द्वारा अनुशांसित लोगों के पदोन्नति मामलों के लिए सक्षम है और बिहार इंजीनियरिंग सेवा नियम, 1939 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है।

7. विद्वान वकील प्रस्तुत करते है कि विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और बाद में राज्यपाल द्वारा सजा का आदेश पारित किया गया है। इसलिए, यह आदेश कानून की नजर में टिकाउ है और रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. इसके जवाब में, याचिकाकर्ता विद्वान वकील ने इस न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय रखा, जिस पर बिहार इंजीनियरिंग् सेवा वर्ग-1 के सदस्यों की नियुक्ति प्राधिकरण से संबंधित मुददो पर निर्णय लिया गया है। इस मामले में यह तय किया गया है कि राज्यपाल या मंत्रीपरिषद नियुक्ति प्राधिकरण है या नहीं। वह प्रस्तुत करता है कि **भूपेन्द्र नारायण झा बनाम बिहार राज्य** का मामला **1984** में रिपोर्ट किए गए **पी.एल.जे.आर.640 (एफ.बी.)** इस न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ ने निर्णय लिया है कि बिहार के राज्यपाल इंजीनियरिंग सेवा वर्ग-1 के सदस्यों के मामले में नियुक्ति प्राधिकरण हैं।

9. पक्षों को सुनने के बाद और अभिलेख में मौजूद दस्तावेजों के जॉचोपरांत, इस न्यायालय को पता चलता है कि आक्षेपित आदेश से संकेत मिलता है कि सक्षम प्राधिकारी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, द्वारा आरोप ज्ञापन की मंजूरी पहले ही ले ली गई है और समीक्षा प्राधिकरण संख्या 1708 दिनांकित 11.05.2009 पत्र पर भरोसा किया है, उक्त पत्र पहले से ही पृष्ठ-130 पर रिट याचिका में मौजूद है, जो वर्तमान रिट याचिका के 2015 के अनुलग्नक- 12 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 1332 में राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामें का अनुलग्नक- ए है। इस पत्र के केवल अवलोकन से ही इस न्यायालय को यह पता चलता है कि अरोप पत्र की मंजूरी कथित सक्षम प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री से नहीं ली गई है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री ने केवल विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में समीक्षा प्राधिकरण द्वारा किया गया तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

10. इस मामले का निर्णय करने की दृष्टि से, **भारत संघ बनाम बी.वी.गोपीनाथ (सुप्रा)**, यह आवश्यक है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के

संवैधानिक प्रावधानों को उद्धृत करते हुए, फैसले के पैराग्राफ 40, 41, 50 और 55 प्रासंगिक हैं जो निम्नानुसार हैं:

> *"40. भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 (1) यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो 2020 के सिविल पटना उच्च न्यायालय सी.डब्ल्यु.जे.सी. संख्या 2730 का सदस्य है, संघ की सेवा या अखिल भारतीय सेवा को उसके अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त या हटाया जा सकता है, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। नागरिक प्रशासन के साथ-साथ लोक सेवक के लिए अनुच्छेद 311 (1) के अत्यधिक महत्व और मूल्य पर इस न्यायालय द्वारा संविधान के लागू होने के बाद से कई निर्णयों में विचार किया गया है, कहा गया है और दोहराया गया है। अनुच्छेद 311 (2) यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार आयोजित जांच के बाद के अलावा किसी भी सिविल सेवक को बर्खास्त या पद से नहीं हटाया जाता है। अनुच्छेद 311 (1) में निहित गारंटी को प्रभावी बनाने और अनुच्छेद 311 (2) की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम, 1965 जारी किए है।*
>
> *41. प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही उपरोक्त नियमों के नियम 14 के संदर्भ में शुरू की गई थी। नियम 14 (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां नियम 14 या नियम 15 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने का प्रस्ताव है, वहां आरोप पत्र अनुशासनात्मक प्राधिकरण तैयार करेगा या तैयार कराएगा। नियम 14(4) फिर से आदेश देता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को आरोप के लेखों की एक प्रति, दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का बयान और सहायक दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करेगा, जिसमें गवाहों की एक सूची शामिल है जिसके द्वारा प्रत्येक आरोप के लेख को साबित करने का प्रस्ताव है। हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए इस प्रावधान की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, कि एक बार अनुशासनात्मक प्राधिकरण अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को मंजूरी दे देता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आरोप पत्र तैयार किया जा सकता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (1) के तहत गारंटीकृत अंतर्निहित संरक्षण को नष्ट कर देगा। ऐसी प्रक्रिया अनुच्छेद 311(2) के*

तहत निहित सुरक्षात्मक प्रावधानों के लिए भी हिंसा करेगी जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी लोक सेवक को एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त, हटाया या निलंबित नहीं किया जाता है जिसमें उसे आरोप पत्र में निहित आरोपों को पूरा करने का उचित अवसर दिया गया है। इस तरह का आरोप पत्र केवल नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात वित मंत्री द्वारा जारी किया जा सकता है।

50. हमारी राय में, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने 2005 के कार्यालय आदेश संख्या 205 के प्रावधनों की सही व्याख्या की है। वास्तव में भी, अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि फाइल को आयकर महानिदेशक (सतर्कता) द्वारा वित मंत्री के समक्ष रखा गया था, जिसमें एक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के नियम 3 (1) (ए) और 3 (1) (सी) के तहत नोट में उल्लिखित अधिकारियों के खिलाफ बड़े जुर्माने की कार्यवाही शुरू करने के लिए वित मंजूरी की मंजूरी मांगी गई थी, जिसमें प्रतिवादी भी शामिल था। अंततः ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप पत्र को वित मंत्री द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, सुश्री इंदिरा जयसिंह की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं होगा कि वित मंत्री द्वारा विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए दी गई मंजूरी भी आरोप पत्र के अनुमोदन के बराबर होगी।

55. हालाँकि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा 2020 के पटना उच्च न्यायालय सी.डब्ल्यू.जे.सी. आई.डी. 1 के रूप में कई संपार्श्विक मुददे उठाए गए थे। उतरदाताओं के लिए, हम इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए इस पर राय नहीं देना उचित समझते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नही किया गया आरोप पत्र/आरोप पत्र कानून की नजर मे नहीं था।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत निर्धारित प्रावधानों और इस फैसले के पैराग्राफ-50 के संचालन भाग में यह स्पष्ट होता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई मंजूरी आरोप पत्र की मंजूरी के बराबर नहीं होगी और इसलिए, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है, उपर उल्लिखित कारणों से, कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी आरोप पत्र दोषपूर्ण है और एक बार आरोप पत्र दोषपूर्ण होने के बाद स्वतः ही पूरी कार्यवाही खराब हो जाती है। इस

संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद- 55 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जब आरोप पत्र/ आरोप पत्र को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और गैर-कानूनी है तो जांच, अंतिम आदेश और समीक्षा आदेश सहित पूरी विभागीय कार्यवाही भी कानून की नजर में गैर-कानूनी है ।

12. मामले के इस दृष्टिकोण से, रिट याचिका अनुमत और ज्ञापांक 4326 (एस) दिनांक 30.05.2013 (अनुलग्नक-17) में निहित आदेश, पत्र संख्या 5140 दिनांक-07.06.2019 (अनुलग्नक-21) में निहित समीक्षा आदेश और दिनांकित 02.07.2009 शुल्क ज्ञापन इसके द्वारा रदद किए जाते है।

13. यह इस न्यायालय को प्रेषित करता है कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही 30.04.2023 को सेवा से सेवानिवृत हो चुका है, इसलिए राज्य उतरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी सेवा से जुड़े याचिकाकर्ता और उसके सेवानिवृति के बाद के बकाया को सभी परिणामी राहत प्रदान करे।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

एम.के.आर./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।